शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-9/499/तीन-2021-6(12)/2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ/मथुरा/जौनपुर/मेरठ।

सामान्य प्रशासन अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

विषयः- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 व अन्य वर्षों की एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/97सा0प्र0अनु0, दिनांक 06 मई, 1999, शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2008 एवं शासनादेश संख्या-647/तीन-2018-10(35)/2016, दिनांक 10-10-2018 के अनुसार अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत कीर्ति चक्र से अलंकृत 01 एवं शौर्य चक्र से अलंकृत 03 उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 रू0 43,59,100/- (रू0 तिरालीस लाख उनसठ हजार एक सौ मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	**अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम**	**अलंकरण/ पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि**	**अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता**	**राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/ वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष**	**धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति**
1	2	3	4	5	6
1	ले0कर्नल दिनेश प्रसाद माथुर	कीर्ति चक्र, 11-07-1968	निवासी-म0नं0-सी-19, ए डब्लू एच ओ, रक्षा पुरम, मेरठ, उ0प्र0	वित्तीय वर्ष 1968-69 को अनुमन्य एकमुश्त रू0 6,000/- तथा (वार्षिकी 01.01.1986 से देय) वर्ष 1985-86 से 1998-99 तक रू0 100/- प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी रू0 1,400/- वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07,	ले0कर्नल दिनेश प्रसाद माथुर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				2007-08, हेतु रू0 300/- प्रतिवर्ष की दर से **वार्षिकी रू0 2,700/-** एवं वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 हेतु **रू0 1,00,000/- प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी रू0 10,00,000/-** एवं वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 हेतु **रू0 1,30,000/- प्रतिवर्ष की दर से रू0 5,20,000/-** ---------- **6,000+1400+2,700 +10,00,000 + 5,20,000 = कुल रू0 15,30,100/-**	
2	हवलदार स्व0 गिरधारी लाल यादव	शौर्य चक्र (26.01.1985)	निवासी ग्राम अभयचन्द्र पट्टी पो0 कलीचाबाद, जौनपुर	वित्तीय वर्ष 1985-86 को अनुमन्य एकमुश्त रू0 5,000/- वर्ष 1985-86 से 1998-99 रू0 100/- प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी रू0 **1400/-** वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, हेतु रू0 200/- प्रतिवर्ष की दर से **वार्षिकी रू0 1,800/-** एवं वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-	श्रीमती किशुन देवी पत्नी हवलदार स्व0 गिरधारी लाल यादव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 हेतु **रू0 50,000/- प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी रू0 5,00,000/-** एवं वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 हेतु **रू0 65,000/- प्रतिवर्ष की दर से रू0 2,60,000/-** ---------- **5,000+ 1400 + 1800 +5,00,000 + 2,60,000 = कुल रू0 7,68,200/-**	
3	स्व0 ले0 हरी सिंह बिष्ट	शौर्य चक्र (25.11.1972)	आवासी 2सी/144, एच0आई0जी0, वृन्दावन योजना, फेज-प्, रायबरेली रोड, लखनऊ	वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 ,2007-08, हेतु रू0 200/- **प्रतिवर्ष की दर से रू0 800/-** वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 हेतु रू0 50,000 प्रतिवर्ष की दर से **रू0 5,00,000/-** ---------- **800+5,00,000= कुल रू0 5,00,800/-**	श्रीमती शान्ती बिष्ट माता स्व0 ले0 हरी सिंह बिष्ट
4	मेजर पवन गौतम	शौर्य चक्र (15-08-2018)	आवासी-सी0सी0-37 चन्दनवन फेस-1 जिला-मथुरा	वर्ष 2018-19 अनुमन्य एकमुश्त धनराशि रू0 13,00,000 एवं वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 हेतु रू0 65,000	मेजर पवन गौतम

http://shasanadesh.up.gov.in

				प्रतिवर्ष की दर से रू0 **2,60,000/-** ---------- **13,00,000 + 2,60,000 = कुल रू0 15,60,000/-**	
			योग :	**रू0 43,59,100/-**	
(रू0 तिरालीस लाख उनसठ हजार एक सौ मात्र)					

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक ''2075-विविध सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय' ' के नामे डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की उपर्युक्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त म्समबजतवदपब निदक ज्तंदेमित से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाए कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवत हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। संबंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का ''जीवित प्रमाण-पत्र' ' प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-9/499(1)/तीन-2021-6(12)/2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ/मथुरा/जौनपुर एवं मेरठ।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता।
4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, 30प्र0, कैसरबाग, लखनऊ।
7- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, लखनऊ, मथुरा, जौनपुर, मेरठ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमेश यादव,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Sanction Report

सामान्य प्रशासन

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-499-3-21 **स्वीकृति तिथि:** 21/10/2021

अनुदान संख्या: 84 - सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षक: 2075008000300 - अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ. प्र. के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	वर्तमान/प्रेक्षित स्वीकृति
42 - अन्य व्यय	30,000,000.00	10,153,000.00	4,359,100.00
योग :	**30,000,000.00**	**10,153,000.00**	**4,359,100.00**

(उमेश यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-21/10/2021

प्रेषण संख्या:- 2
आवंटन आदेश संख्या:- 001-499-3-2021
अनुदान संख्या:- 84 सामान्य प्रशासन विभाग(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2075 - विविध सामान्य सेवायें(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय
03 - अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ. प्र. के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1530100 2310100	1530100 2310100
2	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1560000 2080000	1560000 2080000
3	जौनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	768200 768200	768200 768200
4	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	500800 1540800	500800 1540800
	योग	वर्तमान प्रगामी	4359100 6699100	4359100 6699100

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तियालीस लाख उनसठ हजार एक सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियासठ लाख निन्यानवे हजार एक सौ

(उमेश यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।